(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/3371

प्रकाश चन्द्र कोठारी पुत्र पारसमलजी, निवासी– बजाजखाना जावरा जिला रतलाम (म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा कलेक्टर उज्जैन (म.प्र.)

--अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 113/बी–121/2015–16 में पारित आदेश पारित दिनांक 31/08/2016 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

Bhargave 15-9-17 अजित नाग व (अधिव)

CR 3.10.17

माननीय महोदय,

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भूरा/2017/3371

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-4-18	आवेदक अभिभाषक को सुना गया । आवेदक जिस अधिसूचना दिनांक 10-7-2014 का लाभ लेना चाह रहा है वह दिनांक 30-12-11 से प्रभावी हुई है जबकि आवेदक का निर्धारण उससे पूर्व का है तथा उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है । अत: तहसीलदार ने उसकी आपत्ति निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अत: यह निगरानी औचित्यहीन होने से निरस्त की जाती है। अध्यक्ष	